कार्यालयः उ0प्र0, लोक सेवा आयोग,
संख्या– 1131/06/ई–4/2009–2010
प्रयागराजः दिनांक 23 अक्टूबर, 2019

विज्ञप्ति

सम्मिलित अवर अभियंता परीक्षा, 2013 की लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित किये गये है:–

साक्षात्कार–कार्यक्रम (अवर अभियंता मेकेनिकल पद हेतु)

क0सं0	दिनांक	अनुक्रमांक (कहाँ से कहाँ तक)
1–	31–10–2019	000017 से 003854
2–	01–11–2019	003878 से 007655
3–	02–11–2019	007665 से 011661
4–	04–11–2019	011725 से 015985
5–	05–11–2019	016095 से 020742
6–	06–11–2019	020756 से 025714
7–	07–11–2019	025735 से 030250
8–	08–11–2019	030272 से 035966
9–	11–11–2019	035972 से 038218
10–	13–11–2019	038241 से 043081
11–	14–11–2019	043101 से 048706
12–	15–11–2019	048708 से 050980

(कृषि एवं सिविल शाखा के सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना अलग विज्ञप्ति के माध्यम से दी जायगी ।)

उक्त मैकेनिकल शाखा के सफल अभ्यर्थियों हेतु आनलाइन परंपरागत आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया नीचे के प्रस्तरों में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर की जानी है।

2–अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in के "Home Page" पर "Candidate Segment" में "Fill online details for COMBINED JUNIOR ENGINEERING EXAMINATION-2013" पर Click करके आवश्यक सूचनाएं आनलाइन फार्मेट पर भरनी होगी। आनलाइन फार्मेट भरने से पूर्व "SAMPLE SNAPSHOTS" के आधार पर पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त आनलाइन फार्मेट भरें। सर्वप्रथम Registration no. & Basic Details (जन्म तिथि, लिंग, निवास, श्रेणी इत्यादि) दें। निर्देशों एवं प्रक्रिया का भली–भॉति अध्ययन करने के उपरान्त उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर आनलाइन सूचनाएं भरकर पूर्ण संतुष्ट होकर "SAVE" कर लें सभी स्तरों पर आनलाइन सूचनाएं भरने के पश्चात "SUBMIT" कर दें। आनलाइन "SUBMIT" किये गये फार्म सेट को मुद्रित कर लें।

3–आनलाइन फार्म सेट "SUBMIT" करने के उपरान्त यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु साक्षात्कार की नियत तिथि से एक दिन पूर्व तक केवल एक बार संशोधन (Edit) आंयोग की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in के "Home Page" पर प्रदर्शित विकल्प " Click here to Modify details after Submission for COMBINED JUNIOR ENGINEERING EXAMINATION-2013" पर क्लिक करके कर सकते है। ऐसे आवेदन पत्र (फार्म सेट) जिस पर व्हाइटनर, ओवर राइटिंग अथवा कटिंग इत्यादि की गयी है उसे स्वीकार्य नही किया जाएगा तथा अभ्यर्थी का साक्षात्कार/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त सुविधा निर्धारित साक्षात्कार की तिथि से एक दिन पूर्व तक केवल एक बार उपलब्ध रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार तिथि में अपरिहार्य कारणवश परिवर्तन कराया जायेगा, तब भी पूर्व में जारी साक्षात्कार की नियत तिथि से एक दिन पूर्व तक ही यह सुविधा अनुमन्य रहेगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण–पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण–पत्र, विकलांगता का प्रमाण–पत्र, भू0पू0सै0 का प्रंमाण–पत्र के प्रारूप की PDF File वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4– आनलाइन भरे गये फार्म सेट (आवेदन–पत्र, प्रमाणी करण प्रपत्र, देशना प्रपत्र, अंक तालिका विवरण व अधिमान्यता प्रपत्र) को मुद्रित करके उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों का दो सेट तैयार कर उस फार्म सेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो की दो प्रति तथा दो आवक्ष सादी फोटो अर्थात कुल 04 फोटो सहित **नियत तिथि को प्राप्त 9.00 बजे आयोग परिसर, प्रयागराज में स्थित यमुना भवन में पहुँचना सुनिश्चित करें।** साक्षात्कार के समय शैक्षिक अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त अंकतालिकाओं (प्रत्येक वर्ष की)/उपाधि,डिप्लोमा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ अवश्य लावें। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(क) उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थी को पिता पक्ष से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र ।

(ख) उ0प्र0 के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दावे के समर्थन में(वेबसाइट पर उपलब्ध) निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार मे कार्यरत अभ्यर्थी को सेवायोजन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र मूल रूप में।

उपर्युक्त प्रमाण–पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

नोट– (1) **साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों के परंपरागत आवेदन पत्र तथा शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षण के समय यदि यह संज्ञान में आता है कि कोई अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित नही करता है तो आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से वंचित कर उनका अभ्यर्थन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।**

(2) **विज्ञापन के प्रस्तर–12 में उल्लिखित अभ्युक्ति में सिंचाई विभाग अवर अभियंता (सिविल/यांत्रिक) हेतु आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित है अर्थात ऐसे अभ्यर्थियों का जन्म 02 जुलाई, 1973 के पूर्व एवं 01 जुलाई, 1995 के बाद का नही होना चाहिए। सूचित किया जाता है कि जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के मध्य है उनकी केवल अवर अभियंता (सिविल/यांत्रिक) सिचाई विभाग के पदों हेतु अधिमान्यता स्वीकार की जायेगी, इसलिए आनलाइन मॉगी गयी अधिमान्यता में वे केवल सिंचाई विभाग की अधिमान्यता ही भरें। यदि उनके द्वारा अन्य किसी पदों की अधिमान्यता दी जायेगी तो उसे अमान्य कर दिया जायेगा।**

(अरविंद कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक।